प्रेसनोट –
दिनांक- 12.09.2026
जनपद मऊ ।

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा महिला से छिनैती करने वाला 01 नफर शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ मे घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 जोड़ी पीली धातु कान की बाली,01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त होण्डा शाइन मोटर साइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 05.09.2026 को मंयक उर्फ प्रिन्स यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी ग्राम टेंगुनिया गोविंदपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 23 वर्ष द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर थाना हलधरपुर क्षेत्रान्तर्गत चकरा से जमीनसहरुल्ला मार्ग पर महिला के साथ छिनैती करने के संबंध में मु0अ0स0 190/2026 धारा- 309(4),317(2),317(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 11/12.09.2026 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना हलधर पुलिस टीम द्वारा जमीन बेरुकी की तरफ घेराबन्दी कर अभियुक्तो पकड़ने का प्रयास किया गया जिसपर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष बाल-बाल बचे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं आवश्यक बल प्रयोग करते हुए की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मंयक के दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा जिसको ईलाज हेतु सीएचसी रतनपुरा लाया गया है जबकि उसके दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों की तरफ भागने में सफल रहे । फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मु0अ0सं0 195/2026 धारा-109(1),3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मंयक उर्फ प्रिंस यादव (उम्र करीब 23 वर्ष) पुत्र ओमप्रकाश यादव, निवासी टेघुनिया गोविंदपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ। (थाना घोसी का हिस्ट्रीशीटर व शातिर अपराधी)

फरार अभियुक्तों का विवरण-

1 -राजा राजभर पुत्र भृगु राजभर, निवासी रसड़ी, थाना घोसी, जनपद मऊ।

2 -लाला उर्फ योगेन्द्र राजभर पुत्र रामअवतार राजभर, निवासी रसड़ी, थाना घोसी, जनपद मऊ।

बरामदगी-

01अदद अवैध तमन्चा -315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस -315 बोर,

01 अदद खोखा कारतूस – 315 बोर

01 अदद 9mm खोखा कारतूस

01 अदद की-पैड मोबाइल फोन

01 जोड़ी पीली धातु कान की बाली व घटना में प्रयुक्त होण्डा शाइन मोटर साइकिल बरामद

अभियुक्त मंयक उर्फ प्रिन्स उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1.   मु0अ0सं0 -116/2023 धारा 387, 507 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

2 .   मु0अ0सं0 118/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

3.   मु0अ0सं0- 328/2021 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना मधुबन जनपद मऊ।

4.   मु0अ0सं0 -222/2021 धारा 41,411,413,414,467,468,471 भा0द0वि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

5.   मु0अ0सं0 456/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

प्रेसनोट –
दिनांक- 12.09.2026
जनपद मऊ।

थाना समाधान दिवस पर जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम मे 12.09.2026 को जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा थाना सरायलखन्सी पर उपस्थित रहकर थाना समाधान दिवस पर जनशिकायतों को सुना गया साथ ही साथ जनपद के समस्त थानों पर भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान द्वारा समस्त थानों पर क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर प्राप्त 93 प्रार्थना पत्रों में से कुल 02 प्रार्थना पत्रों का मौके पर पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

प्रेसनोट –
दिनांक- 12.09.2026
जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 12.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 34 टीम गठित कर जनपद के 34 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1280 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 489 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 02 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेसनोट –

दिनांक- 12.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस लाइन सभागार जनपद मऊ में साइबर थाना व साइबर सेल के कार्यों की समीक्षा हेतु गोष्ठी आयोजित

आज दिनांक 12.09.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ, श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार में जनपद पुलिस के साइबर थाना व साइबर सेल में संचालित कार्यों की समीक्षा हेतु समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में साइबर थाना व साइबर सेल के प्रभारी एवं थानो पर संबंधित कार्य संपादित करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं स्थिति की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि साइबर थाना व साइबर सेल के कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। गोष्ठी के माध्यम से साइबर अपराध से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रभावी ढंग से संपादित करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए।

प्रेसनोट –

दिनांक- 12.09.2026

थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 30 व्यक्तियो को किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा शराब के ठेकों के आस पास शराब पीकर हुड़गंद मचाने वालो पर कार्यवाही के लिए चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के निर्देशन व कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने/ गंदगी फैलाने वाले कुल 30 शराबियों को हिरासत में लेकर 355 बीएनएस की कार्यवाही अमल में लायी गयी।